(6)

क्रमांक 3328500/46/16
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.)

प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/12/16

श्री भागीरथ शिंदे,
तत्कालीन उपयंत्री,
जल संसाधन उपखंड,,
शुजालपुर,
जिला–शुजालपुर।
(वर्तमान में उपयंत्री, जल संसाधन नहर संभाग, राजगढ–ब्यावरा)।

द्वारा:– मुख्य अभियता, चबल–बेतवा कछार, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

विषय– विभागीय जांच विरूद्ध श्री भागीरथ शिंदे,तत्कालीन उपयंत्री,जल ससाधन उपखड, शुजालपुर,जिला–शुजालपुर।

इस कार्यालय व्दारा आपके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आपके विरूद्ध लगाये गये आरोप पत्रादि आरोपों से संबंधित अभिकथन पत्रक, दस्तावेजों तथा गवाहो की सूची संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर आप अपना लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय को भेजें तथा सूचित करें कि इस सबध मे क्या आप मौखिक जाच चाहते है या व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है,तथा प्रतिरक्षण में मौखिक या लेखी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।

2. यदि प्रतिरक्षण साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दस्तावेजों की सूची तथा गवाहों की सूची, जिन्हे आप प्रतिरक्षण में प्रस्तुत करेंगे, को भी अपने लिखित उत्तर के साथ प्रस्तुत करें, यदि आप आरोपो से संबंधित अभिलेख देखना चाहते हैं तो कार्यालय मुख्य अभियता, नर्मदा ताप्ती कछार, जल ससाधन विभाग, इंदौर के कार्यालय में निरीक्षण कर सकते हैं।

3. विभागीय जांच के प्रयोजन के लिये म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण तथा अपील नियम 1966) के नियम 14 के अंतर्गत यह निर्णय लिया है कि:–

1. विभागीय जाच के प्रयोजन के लिये प्रमुख अभियंता ही अनुशासनिक अधिकारी होगा ।
2. प्रमुख अभियंता को अधिकार होगा कि आपके विरूद्ध नियम 10 के तहत कोई भी दण्डादेश पारित कर सके ।
3. इस जाच के नियम 14 एवं 15 के अनुसार प्रकिया अपनाई जावेगी ।
4. यदि निर्धारित समयावधि में आपसे लिखित उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो एक पक्षीय कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जावेगी ।

सहपत्र–उपरोक्तानुसार।

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग

2

पृ क 3328500/46/16 भोपाल, दिनांक 26/12/16

प्रतिलिपि–

1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग, भोपाल।

2 मुख्य अभियंता, चंबल–बेतवा कछार,जल संसाधन विभाग,भोपाल। कृपया संबंधित को आरोपपत्रादि उपलब्ध करवाकर मूल पावती इस कार्यालय को भेजें।

3 मुख्य अभियंता, नर्मदा–ताप्ती कछार, जल संसाधन विभाग, इंदौर।

4 संबंधित श्री भागीरथ शिंदे, उपयंत्री, द्वारा स.क.–2.

5 वैब मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

सहपत्र– उपरोक्तानुसार (स.क. 2 एवं 5 के लिये)।

26.12.16

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग

क्रमांक 3328500/46/16
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.)

प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/12/16

श्री भागीरथ शिंदे,
तत्कालीन उपयंत्री,
जल संसाधन उपखंड,,
शुजालपुर,
जिला–शुजालपुर।
(वर्तमान में उपयंत्री, जल संसाधन नहर संभाग, राजगढ–ब्यावरा)।

द्वारा– मुख्य अभियंता, चंबल–बेतवा कछार, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

विषय– विभागीय जांच विरूद्ध श्री भागीरथ शिंदे,तत्कालीन उपयत्री,जल संसाधन उपखड, शुजालपुर,जिला–शुजालपुर।

इस कार्यालय व्दारा आपके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आपके विरूद्ध लगाये गये आरोप पत्रादि आरोपों से संबंधित अभिकथन पत्रक, दस्तावेजों तथा गवाहो की सूची संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र प्राप्ति के दिनाक से 15 दिवस के अंदर आप अपना लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय को भेजें तथा सूचित करे कि इस सबंध मे क्या आप मौखिक जांच चाहते है या व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है,तथा प्रतिरक्षण में मौखिक या लेखी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।

2. यदि प्रतिरक्षण साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते है तो दस्तावेजों की सूची तथा गवाहों की सूची, जिन्हें आप प्रतिरक्षण में प्रस्तुत करेंगे, को भी अपने लिखित उत्तर के साथ प्रस्तुत करें, यदि आप आरोपो से संबधित अभिलेख देखना चाहते हैं तो कार्यालय मुख्य अभियंता, नर्मदा तापती कछार, जल संसाधन विभाग, इंदौर के कार्यालय में निरीक्षण कर सकते हैं।

3. विभागीय जांच के प्रयोजन के लिये म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण तथा अपील नियम 1966) के नियम 14 के अंतर्गत यह निर्णय लिया है कि–

1. विभागीय जाच के प्रयोजन के लिये प्रमुख अभियंता ही अनुशासनिक अधिकारी होगा ।
2. प्रमुख अभियंता को अधिकार होगा कि आपके विरूद्ध नियम 10 के तहत कोई भी दण्डादेश पारित कर सके ।
3. इस जांच के नियम 14 एवं 15 के अनुसार प्रकिया अपनाई जावेगी ;
4. यदि निर्धारित समयावधि मे आपसे लिखित उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो एक पक्षीय कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जावेगी ।

सहपत्र–उपरोक्तानुसार।

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग

आरोप पत्र विरूद्ध श्री भागीरथ शिन्दे, तत्कालीन उपयंत्री जल संसाधन उपखण्ड शुजालपुर जिला शाजापुर (म.प्र.) वर्तमान में उपयंत्री, जल संसाधन नहर संभाग, राजगढ–ब्यावरा

जब आप दिनांक 25.07.07 से 25.04.12 तक जल संसाधन संभाग, शाजापुर, अन्तर्गत जल संसाधन उपसंभाग, शुजालपुर में उपयंत्री के पद पर पदस्थ थे, उक्त अवधि में आपके द्वारा जैठडा तालाब के निर्माण कार्य में की गई अनियमितताओं के लिये आपके विरूद्ध निम्नानुसार आरोप अधिरोपित किया जाता है :–

आरोप :– आपके द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नही करने के कारण जेठडा तालाब के नीव खुदाई, नीव भराई एवं मिट्टी आदि के कार्यो के क्रियान्वयन में पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण की कमी रही। फलस्वरूप उक्त निर्माण कार्य में संग्रहित पानी, तालाब निर्माण वर्ष 2012 के बाद से ही तालाब एक दो माह में ही रिक्त हो जाता है। फलस्वरूप क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नही होता है, एवं बांध के डाउन स्ट्रीम के कई कृषकों की भूमि दलदली होकर कृषि योग्य नही रह गई है। इससे विभाग को उक्त निर्माण को पुनः उपयोगी बनाने हेतु लगभग राशि रू. 94.09 लाख की आवश्यकता निर्मित हुई है। विस्तृत विवरण अभिकथन पत्रक में दिया गया है।

म.प्र.निर्माण कार्य विभाग नियमावली 1983 भाग –1 के अपेंडिक्स 1.129 सहपठित कण्डिका 1.28 में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का निवर्हन नही किया एवं म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–3 का उल्लधन कर म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता

अभिकथन पत्र विरूद्ध श्री भागीरथ शिन्दे, तत्कालीन उपयंत्री, जल संसाधन उपखण्ड शुजालपुर जिला शाजापुर (म.प्र.) वर्तमान में उपयंत्री, जल संसाधन नहर संभाग, राजगढ–ब्यावरा

जब आप दिनांक 25.07.07 से 25.04.12 तक जल संसाधन संभाग, शाजापुर, अन्तर्गत जल संसाधन उपसभाग, शुजालपुर में उपयंत्री के पद पर पदस्थ थे, उक्त अवधि में आपके द्वारा जैठडा तालाब के निर्माण कार्य में की गई अनियमितताओं के लिये आपके विरूद्ध निम्नानुसार आरोप अधिरोपित आरोप का अभिकथन निम्नानुसार है:–

अभिकथन :–

आपके द्वारा जल संसाधन संभाग, शाजापुर के अन्तर्गत जल संसाधन उपसभाग शुजालपुर के अधीन जेठडा तालाब का निर्माण कार्य कराया गया तालिका (अ–1) के अनुसार है :–

तालिका– अ

क्र	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि	अनु. क्र. एवं राशि	कार्यादेश क्र व दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	भौतिक रूप से कार्य की पूर्णता का दिनांक	माप पुस्तिका क्रमांक	देयकों की राशि
1	जेठडा तालाब का निर्माण कार्य	280.52 लाख	20/08–09 दि 23.8.09 11573840/–	4102–03/बोधी दि . 23.08.08	मे. एस.के. जैन ए–5 श्रेणी ठेकेदार ब्लाक 3/6 मीरा काम्पलेक्स एम.पी. नगर, भोपाल।	11.11.08 एम.बी. एन. 2438 पी–02	31.03.12	2437 2438 2392	8685043 एम.बी. नं. 2437

आपके द्वारा जेठडा तालाब की आर.डी. 0 से 1155 मी. मे नीव की खुदाई (लगभग 7869 ध.मी.) नीव भराई एवं पाल से मिट्टी का कार्य संपादित करवाया गया जो कि लगभग 71209 धन. मी. (आर.डी. 0 मी. से 1155 मी.) है तथा अन्य समस्त कार्य संपादित करवाये गये , जिस हेतु विभाग को लगभग रू. 87,18,965/– का भुगतान करना पडा। इस प्रकार आपके द्वारा जेठडा तालाब से संबंधित उक्त कार्यो के संपादन के दौरान पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण की कमी रही तथा निम्न तालिका में दर्शाये गये चलित देयको के माध्यम से आपके द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जाती रही है।

तालिका– ब

क्र	चलिय देयक क्रमाक	अनुविभागीय अधिकारी / उपयंत्री का नाम	. व्हाउचर क्रमांक	देयक की राशि चेक के माध्यम से		मापपुस्तिका क्रमांक एवं पृष्ठ क्रमाक	
				ग्रास	नेट	क्रमांक	पृ क्र.
1	पहला	श्री भागीरथ शिन्दे उपयंत्री।	48/19.03.09	376000	332071	2437 2438	05 1-18
2	दुसरा	–तदैव–	3/06.05.09	2250083	2008869	2437 2438	08 18
3	तीसरा	–तदैव–	13/16.09.09	1251000	1116885	2437 2438	12 27
4	चौथा	–तदैव–	30/15.06.2011	1669618	690640	2437 2438	16 30
5	पचवा	–तदैव–	63/13.12.2011	1138342	916302	2437 2438	24 47
6	छटवा	–तदैव–	41 /03.03.12	1448009	1267569	2437 2438	32 60
7	सातवा	–तदैव–	47/29.03.12	551991	484447	2437 2438	42 75
अंतिम भुगतान आज दिनांक तक नही हुआ है।						2437	53
				8685043/-	**6816783/-**		

गुणवत्ता संबंधी परिणाम तालिका अ ब स (जेठडा तालाब निर्माण)

A –संदर्भ अनुविभागीय अधिकारी गुण नियंत्रण का पृ0क्रं0–Q-camp- Q-1 दिनांक 17/12/08

आर.डी.	परमिबिऐलिटी परिणाम	परिमिसिबल लिमिट (मानक स्तर)
240 m	90 Feet/year.	100 feet/year.
265 m	88.00 Feet/year.	100 feet/year.
270 m	58.40 Feet/year.	100 feet/year.
300 m	290.00 Feet/year.	100 feet/year.
330 m.	95.00 Feet/year.	100 feet/year.
360 m.	405.00 Feet/year.	100 feet/year.
390 m	285.40 Feet/year.	100 feet/year.

B –पत्र क्रं–210 / क्यू.सी. / मक्सी, दिनांक 24.12.08

आर.डी.	गहराई में	परमिबिऐलिटी परिणाम	परिमिसिबल लिमिट (मानक स्तर)
360m	2.60m	350Feet/year.	100 feet/year.
390m	2.65m.	260.00 Feet/year.	100 feet/year.
1100m	2.35m.	240 Feet/year.	100 feet/year.

C –पत्र क्रं–4 / क्यू.सी. / मक्सी, दिनांक 6.01.09

S.No.	R.D.	फाउन्डेशन लेवल	परमिबिऐलिटी	परिमिसिबल लिमिट (मानक स्तर)
1.	420m	456.79m	160Feet/year.	100Feet/year.
2.	450m.	455.96m.	130Feet/year.	100Feet/year.
3.	480 m.	455.30m.	135feet/year.	100Feet/year.
4.	510 m.	454.85m.	105feet/year.	100Feet/year.
5.	540 m.	454.31m.	120feet/year.	100Feet/year.
6.	570 m.	454.31m.	115feet/year.	100Feet/year.
7.	600 m.	454.96m.	120feet/year.	100Feet/year.

मिट्टी के कार्य से संबंधित (पाल निर्माण मे) कोई गुणवत्ता नियंत्रण की गतिविधि संपादित नही की गई।

उपरोक्त दर्शाई तालिका अ, ब एवं स में जेठडा तालाब परियोजना के अनुबंध क्रं–20 / 08–09 के तहत कार्य संपादन में गुणवत्ता का अभाव रहा। उक्त तालाब का निर्माण कार्य आपके कार्यकाल में 25.07.07 से 25.04.12के दौरान किया गया था। उक्त तालाब पर कुल रू. 536.60 लाख (योजना के भु–अर्जन एवं अन्य भुगतान 449.41 लाख एवं ठेकेदार को भुगतान रू. 87.19 लाख) का व्यय हुआ है।

उक्त तालाब का नाला क्लोजर आपके द्वारा वर्ष 3 / 2012 तक कर दिया गया हैं किन्तु उक्त तालाब में संग्रहित पानी वर्ष 2012 के वर्षाकाल से हीएक दो माह में रिस कर तालाब खाली हो जाता है, जिससे योजना पर किया गया व्यय निष्फल हो गया है। तालाब रिक्त होने से क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई हेतु जल भी उपलब्ध नही हो पा रहा है एवं डाउन स्ट्रीम के कृषकों की भूमि दलदली होकर कृषि योग्य नही रह गई है।

श्री आर.एल. साहु मेंबर (इंजिनियरिंग जियोलाजी) डी.एस. आर.पी.बोधी भोपाल द्वारा की गई जांच में पाया गया है कि जेठडा तालाब का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण नही होने से तालाब का समस्त पानी बांध की बाडी एव नीव से रिसकर निकल जाता है। सम्पूर्ण कार्य संपादन के दौरान गुणवत्ता संबंधी कोई कार्यवाही (टेस्ट) न की जाना ही आपने आप मे संदिग्ध है।

इस प्रकार आपके कार्यकाल में जेठडा तालाब के निर्माण के दौरान की गुणवत्ता नियंत्रण एव निर्धारित मापदण्डो की कमी रही है।

तथा विभाग के उक्त निर्माण को पुनः उपयोगी बनाने हेतु लगभग राशि रू. 94.09 लाख की आवश्यकता निर्मित हुई।

म.प्र.निर्माण कार्य विभाग नियमावली 1983 भाग –1 के अपेंडिक्स 1.129 सहपठित कण्डिका 1.28 में विनिदिष्ट कत्तव्यों का निवर्हन नही किया एवं म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–3 का उल्लधन कर म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

25.12.16

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता

अभिलेखो की सूची

(1) म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग के आदेश क्रं–373/8/249/07/ल.सि./31, भोपाल दिनांक 07/08/07 से रू. 280.52 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई ।

(2) अनुबंध क्रमांक 20/2008–09 राशि रूपये 11573840/–

(3) भुगतान शुदा प्रथम चलित देयक से सातवें चालित देयको की छायाप्रतियां।

(4) गुणवत्ता परिणाम सूची संलग्न है।

(5) माप पुस्तिका क्रमांक 2437 एवं बिल एम.बी. क्रमांक 2392, 2438,

(6) अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, इन्दौर का निरीक्षण प्रतिवेदन (पत्र क्रं0–3775, दिनांक 20/12/13) एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर की रिपोर्ट पत्र क्रं. 235, दिनांक 18/01/16 के साथ।

(7) कार्यपालन यंत्रियों, के जल संसाधन संभाग, शाजापुर के निरीक्षण प्रतिवेदन पत्र क्रं 3483, दिनांक 16/10/15 एवं 235 दिनांक 18.01.2016

(8) जेठडा तालाब डाउन स्ट्रीम के भूमि धारकों द्वारा दिये गये आवेदन ।

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता

गवाहो की सूची :

1. श्री एल.एस. जादौन अनुविभाग, अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, शुजालपुर।
2. श्री एस.ए. खान उपयंत्री जल संसाधन उपसंभाग, शुजालपुर।
3. श्री जी.एस. भिलाला, मानचित्रकार जल संसाधन संभाग, शाजापुर।
4. श्री एन.आर. जुलवानिया SAC जल संसाधन संभाग, शाजापुर।

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता